।। कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर ।।

क्रमांक: पु.आ.जोध./आ.विशा./विविध/2025/ 1277 दिनांक: 16.06.2025

-:: आदेश ::-

(अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023)

मुझे अवगत कराया गया है कि जोधपुर महानगर क्षेत्र के विभिन्न घरों/संस्थानों में किरायेदार, घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन, सहायक इत्यादि बिना पुलिस सत्यापन व अपर्याप्त व्यक्तिगत जानकारी अधिकृत पहचान पत्र, मोबाईल नम्बर के सेवा में रखें जा रहे है। यह भी देखने में आया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा पूर्व में हत्या, हत्या का प्रयास, घोर उपहति कारित कर लूटपाट, जहरखुरानी, चोरी इत्यादि गम्भीर प्रकृति की आपराधिक वारदातें कारित की गई है।

प्राप्त सूचनाओं से यह भी ध्यान में लाया गया है कि इस प्रकार के व्यक्ति अलगाववादी, आतंकवादी, समाज विरोधी, व राष्ट्र विरोधी तत्वों के रुप में छुपे हो सकते है जिनके द्वारा अपने आपराधिक मंसूबों की पूर्ति करने की भी प्रबल सम्भावनायें रहती है तथा इस सम्बन्ध में पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घरेलू नौकरों द्वारा आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया है। उदाहरणतया जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के अन्तर्गत पुलिस थाना बनाड में प्रकरण सं. 380/2021, पुलिस थाना सदर बाजार में प्रकरण सं. 97/2021, पुलिस थाना करवड में प्रकरण सं. 86/2021, पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में प्रकरण सं. 378/2021, पुलिस थाना मण्डोर में प्रकरण सं. 40/2021 व 433/2021, पुलिस थाना शास्त्रीनगर में प्रकरण सं. 383/2021, पुलिस थाना एयरपोर्ट में प्रकरण संख्या 248/2022 एवं पुलिस थाना महामन्दिर में प्रकरण संख्या 558/2024, इससे संबंधित दर्ज हुए है।

अतः हाल ही में लगातार हुए गंभीर प्रकार के ऐसे अपराधों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल कदम उठाना नितान्त आवश्यक है, जिससे जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र की कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था कायम रह सके।

उक्त परिस्थितियों में मेरा समाधान हो गया है एवं मै संतुष्ट हूँ की ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, जान-माल की सुरक्षा के लिए एवं अपराधों की रोकथाम हेतु, ऐसे व्यक्ति/संस्थायें जो अपने मकान/संस्थान में किरायेदार, घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि रखते है, उनके द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन करवाये जाने एवं इनकी पूर्ण व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित रखने तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने हेतु बाध्य/पाबन्द करना युक्तियुक्त है, जिस हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः मैं **शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया, IPS,** पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, आयुक्तालय जोधपुर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर क्षेत्र के लिए निम्नानुसार आदेश प्रसारित करता हूँ कि:-

जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के मकान मालिकों/संस्थानों के स्वामी, जो ऐसे सहायक, किरायेदार, घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि को अपने घरों/संस्थान में रखते है, को पाबन्द किया जाता है कि वे अपने घरों/संस्थान में रहने वाले सहायक, किरायेदार, घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि की पूर्ण प्रमाणिक एवं व्यक्तिगत जानकारी मोबाईल नं. एवं अधिकृत पहचान पत्र संधारित करेंगे तथा पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य रुप से स्थानीय थाने से करवायेंगे (नियोजित किए जाने से अधिकतम 15 दिन के भीतर) तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी तत्काल सम्बन्धित पुलिस थाने में देगें।

यह आदेश मानव जीवन व लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की स्थिति को निवारित करने के लिए उपर्युक्त वर्णित आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के कारण लोकहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है एवं उन व्यक्तियों, जिनके विरूद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील सम्यक् रूप से कराने की गुंजाईश नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

OFFICE OF THE DCP HEADQUARTER AND TRAFFIC सत्यमेव जयते JODHPUR

चूंकि इस नोटिस को प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से तामील नही कराया जा सकता है, अतः आदेश को बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए प्रचारित किया जावे। इस नोटिस को प्रेस के माध्यम से और सभी कार्यालय (पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील एवं सभी पुलिस थाना) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रकाशित किया जाकर सार्वजनिक किया जाए।

मै सभी को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। इस आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संचालन/प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जावेगा।

यह आदेश दिनांक 18.06.2025 से दिनांक 16.08.2025 तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाता है।

OFFICE OF THE DCP HEADQUARTER AND TRAFFIC JODHPUR सत्यमेव जयते

(शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया)
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
एवं
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एवं यातायात,
जोधपुर
Dy Commissioner of Police
Headquarter & Traffic
Jodhpur

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, इन्टेलीजेन्स, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून व व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान, जयपुर।
6. श्रीमान् पुलिस कमिश्नर, जोधपुर।
7. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
9. पुलिस उपायुक्त पूर्व/पश्चिम जोधपुर को पालनार्थ।
10. प्रभारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, आयुक्तालय, जोधपुर को प्रभावी मॉनिटरिंग करने हेतु।
11. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, आयुक्तालय जोधपुर।
12. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर को पालनार्थ।
13. जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर को मीडिया के मार्फत प्रसारित करने हेतु।
14. समस्त थानाधिकारीगण, पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर को पालनार्थ।
15. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
एवं
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एवं यातायात,
जोधपुर
Dy Commissioner of Police
Headquarter & Traffic
Jodhpur